



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 287 राँची, सोमवार,
30 वैशाख, 1946 (श०)
20 मई, 2024 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

17 मई, 2024

संख्या-एल0जी0-01/2024-29--लेज0, झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-11/05/2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (निरसन) अधिनियम, 2024
(झारखण्ड अधिनियम- 04, 2024)

विषय सूची

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।
- झारखण्ड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2011 का निरसन
- व्यावृत्ति

झारखण्ड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (निरसन) अधिनियम, 2024

झारखण्ड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2011 का निरसन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (निरसन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य लागू होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में), 2011 का निरसन- झारखण्ड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2011 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

3. व्यावृत्ति ऐसे निरसन के होते हुए भी झारखण्ड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2011 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया अथवा की गई समझी जाएगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त थी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।
